सं0–1363/उन्तीस(2)/07–2(60पे0)/2007

प्रेषक,

टीकम सिंह पँवार,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून दिनांक 27 दिसम्बर, 2007

विषयः– राज्य सैक्टर नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में जनपद पौड़ी की श्रीनगर पौड़ी पम्पिंग पेयजल योजना हेतु अतिरिक्त पम्पिंग प्लान की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 792/धनावंटन प्रस्ताव/दिनांक 17.03.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में जनपद पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर पौड़ी पम्पिंग पेयजल योजना पर स्पेयर पम्पिंग प्लान हेतु रू0 49.90 लाख (रूपये उनपच्चास लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके, आवश्यकतानुसार दो समान किस्तों में पूर्व आहरित धनराशि के 80 प्रतिशत अथवा पूर्ण उपयोग के बाद ही दूसरी किश्त आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी। निर्माणाधीन योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि जिन निर्माण कार्यो पर व्यय की जायेगी उन कार्यों की लागत के सापेक्ष उ0 प्र0 शासन की वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–ए–2–87(1) दस–97–17 (4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार 12.5 प्रतिशत की धनराशि ही सैंटेज चार्जेज के रूप में अनुमन्य होगी। धनराशि व्यय करने से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यह भी सुनिश्चित कर लेंगें कि अमूक कार्यो पर पूर्व में व्यय की गयी धनराशि को सामायोजित करते हुए सैंटेज चार्जेज किसी भी दशा में 12.5 प्रतिशत से अधिक व्यय नही होगा। कृपया इसका कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कर लें।

क्रमशः...2

4— उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन/व्यय धनराशि के विवरण की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दी जाय। इसके अतिरिक्त कार्यो की मासिक/त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति मासिक रूप से यथासमय शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति न हो अथवा जो विवादग्रस्त है। धन का उपयोग उन्हीं योजनाओं पर किया जाय जिनके लिये स्वीकृति दी जा रही है। एक योजना की धनराशि दूसरी योजना पर कदापि व्यय न की जाय।

5— कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6— व्यय करने के पूर्व बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों, टेंडर एवं अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.08.2008 तक अथवा इसके पूर्व ही उपयोग कर लिया जाय ताकि योजना शीघ्र पूर्ण होकर उसका लाभ शीघ्र जनता को प्राप्त हों। उक्तानुसार पूर्ण उपयोग व कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद ही देय अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

8— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को रखा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त करनी आवश्यक होगी, तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

9— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

10— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

11— एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय।

12— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एंव लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियो को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

13— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग मे लाया जाय।

क्रमशः...3

14– जीपीडब्लू फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

15– योजना समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जायेगी तथा किसी भी दशा में योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन मान्य नहीं होगा।

16–उपरोक्त के अतिरिक्त धनराशि अवमुक्ति से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित समस्त शर्तें भी यथावत लागू रहेगी।

17– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक"2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत –101 –शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम –05–नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिये अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता" के नामे डाला जायेगा ।

18– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 49/XXVII (2)/ 07 दिनांक 13 जून, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव

सं0 2563/उन्तीस(2)/07–2(60पे0)/2007,तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1.महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2.वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3.मण्डलायुक्त, कुमॉयू/गढ़वाल
4.जिलाधिकारी, देहरादून।
5.मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
6.सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
7.वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजटसेल)/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड
8.निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री उत्तराखण्ड।
9–स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10.निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11.निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव